



पत्रांक 1077 / कु०स०का० / सि०वि०वि० / 2020

दिनांक 17 / 01 / 2020

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

विषय—परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं० 01/2020/17/सत्तर-1-2020-16(9)/2018 दिनांक 03 जनवरी, 2020 (छायाप्रत संलग्न) के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर नियंत्रण करने, परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता एवं पारदर्शिता तथा शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु उक्त प्राविधान किया गया है—

"जिन अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाए उनमें प्रवेश द्वार सहित प्रत्येक परीक्षा कक्ष में वायस रिकार्डर युक्त सी०सी०टी०वी० कैमरा एवं रिकार्डिंग हेतु डी०वी०आर० तथा पारदर्शितापूर्ण नकल विहीन परीक्षा कराये जाने एवं उसकी वेबकास्टिंग द्वारा मानीटरिंग किए जाने के उद्देश्य से वायस रिकार्डर युक्त सी०सी०टी०वी० कैमरे के डी०वी०आर० के साथ राउटर डिवाइस लगा होना अनिवार्य होगा।"

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने महाविद्यालय में लगे वायस रिकार्डर युक्त सी०सी०टी०वी० कैमरे की वेबकास्टिंग द्वारा मानीटरिंग किए जाने के उद्देश्य से राउटर डिवाइस का यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड विश्वविद्यालय को तीन दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे परीक्षा केन्द्र निर्धारण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक—यथोपरि।

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक / तददिनांकित।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1—निजी सचिव, कुलपति, कुलपति महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2—वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
- 3—कुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
- 4—उपकुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
- 5—डॉ० दीपक बाबू, प्रभारी, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, सिद्धार्थ वि०वि०, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
- 6—कोडिंग सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं समस्त महाविद्यालयों के कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 7—समाचार सम्पादक दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, अमर उजाला व राष्ट्रीय सहारा को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना अपने सम्मानित समाचार पत्र के अंक में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 8—गार्ड फाईल में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

प्रेमक,

आर० रमेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासना।

श्रीमा जी,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग 1

संख्या: दिनांक: 03 जनवरी, 2020

विषय:- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण।

महोदय,

अपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर नियंत्रण करने, परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता एवं पारदर्शिता तथा शांति-व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-09/2018/1036/सतर-1-2018-16(9)/2018 दिनांक 15 नवम्बर, 2018 (गया संशोधित) द्वारा दिशा-निर्देश निम्नलिखित किये गये थे। उपरोक्त शासनादेश को संशोधित करते हुये परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर नियंत्रण करने हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं।

- 1- जिन महाविद्यालयों को सहायता प्राप्त एवं स्वयंचालित/पोषित महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय। ऊपर प्रवेश द्वार सहित प्रत्येक परीक्षा कक्षा में वायरा रिकार्डर युक्त सी०सी०पी०पी० कैमरा एवं रिकार्डिंग हेतु डी०वी०आर० तथा पारदर्शितापूर्ण नकल विहीन परीक्षा कराये जाने एवं उसकी रिकार्डिंग द्वारा मॉनीटरिंग किये जाने के उद्देश्य से वायरा रिकार्डर युक्त सी०सी०पी०पी०पी० कैमरे के डी०वी०आर० के साथ सडटर डिवाइस लगा होना अनिवार्य होगी।
- 2- परीक्षा कक्षा के आकार को दृष्टिगत रखते हुए कैमरों की संख्याएँ एक कक्षा में व्यूतम दो व जहाँ महाविद्यालय का आकार सामान्य से बड़ा है, तो इससे अधिक कैमरे द्वारा प्रकार स्थापित किये जायें। कि संपूर्ण परीक्षा कक्षा स्पष्ट रूप से कैमरों की कवरेज में आ जाय। प्रत्येक सी०सी०पी०पी०पी० कैमरे में वायरा रिकार्डर एवं डी०वी०आर० के साथ सडटर डिवाइस लगा होना अनिवार्य है।
- 3- सर्वप्रथम राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय, तदनंतर स्वयंचालित/पोषित महाविद्यालयों को आवश्यकतानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय।
- 4- परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालयों में प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा एवं गोपनीयता आभूषण रखे जाने हेतु तथा उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षित एवं समुचित रख-रखाव के लिये कम से कम दो लोहे की जालदारियाँ सहित रडग रूम की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए।
- 5- परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालयों के चारों ओर सुरक्षित चहारदीवारी एवं मुख्य प्रवेश द्वार पर लोहे के गेट की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
- 6- महाविद्यालयों की आधारभूत आवश्यकता सुविधाओं में महाविद्यालय की स्थिति, उसकी धारण क्षमता, फर्नीचर, विद्युत कनेक्शन, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था तथा मदक मार्ग से महाविद्यालयों के मध्य दूरी इत्यादि को दृष्टिगत रखा जाय तथा एक सुविधाओं के सम्बन्ध में महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।
- 7- परीक्षा केन्द्र निर्धारित करते समय महाविद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधन युक्त फवरे, लिटरे, शिक्षण कक्षा (प्रयोगशाला कक्षा, रटाफ कक्षा, प्राचारी कक्षा, पुस्तकालय कक्षा, कीडा कक्षा को छोड़ कर) में उपलब्ध फर्नीचर के अनुसार एक पाली की परीक्षा में नियमानुसार व्यवस्थित रूप से बैठकर परीक्षा दे सकने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अर्थात् महाविद्यालय की धारण क्षमता

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shikshanadesh.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(शिक्षण कक्षा) पर परीक्षा देने हेतु एक परीक्षार्थी के लिये 20 वर्गफुट (180 वर्गमी०) का क्षेत्रफल निर्धारित है, के सापेक्ष ही परीक्षार्थी आवंटित किये जाने की व्यवस्था का इच्छता से पालन किया जाय।

- 8- राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध, सहयुक्त एवं सघटक महाविद्यालयों से यथासंभव 5 से 10 कि०मी० की परीक्षा में आने वाले महाविद्यालयों में परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये जायें छात्राओं के लिये स्व-केन्द्र प्रणाली लागू रहेगी।
- 9- परीक्षाओं हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में छात्राओं को, यदि कक्षा महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है तो उन्हें अपने ही महाविद्यालय में केन्द्र आवंटित किया जाय। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को जहाँ स्वकेन्द्र स्थानीय केन्द्र की सुविधा न दी जा सके, वहाँ उन्हें अधिकतम 05 कि०मी० की परिधि के केन्द्र पर परीक्षा देने की सुविधा दी जाय। यह सुविधा उन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की संस्थागत छात्राओं को भी उपलब्ध कराई जाय जो महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं। एक महाविद्यालय की छात्राओं को अलग अलग परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित नहीं किया जाय।
- 10- परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले जिन महाविद्यालयों की छात्राओं को स्व-केन्द्र की सुविधा प्रदान की जायेगी वहाँ वाह्य अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष के साथ कम से कम 50 प्रतिशत स्टाफ वाह्य महाविद्यालयों से नियुक्त किया जाय।
- 11- विगत तीन वर्षों में सचल दल एवं उच्च शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन के निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा जिन परीक्षा केन्द्रों पर सामूहिक नुकल की रिपोर्ट पाये जाने पर परीक्षा निरस्त करने की रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षा सम्पादित करनी पड़ी हो और उन महाविद्यालयों को परीक्षा समिति शरणा द्वारा डिबार किये जाने का निर्णय लिया गया हो, उन्हें परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।
- 12- जिन महाविद्यालयों के परिसर में प्रबन्धक/प्राचार्य के आवास निर्मित है, उन्हें परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।
- 13- जिन महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित समय से पूर्ण प्रश्न पत्रों के प्रकटन/प्रश्नपत्रों की चोरी/गोपनीयता भंग की गयी हो और परीक्षा समिति द्वारा उन्हें इस कारण से डिबार किया गया हो, ऐसे महाविद्यालयों को न्यूनतम 03 वर्ष परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।
- 14- जिन महाविद्यालयों के सटा ए०आई०एस०एच०के० के पौटल पर अपलोड न हो, उन्हें यथासंभव परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय तथा परीक्षा केन्द्र के निर्धारण में ऑनलाइन विवरण के रूप में रखा जाय।
- 15- गत वर्ष की परीक्षा के दौरान जिन परीक्षा केन्द्रों पर निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय सचल दल एवं उच्च शिक्षा विभाग/जिला प्रशासन के निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार, परीक्षा केन्द्रों पर हिंसात्मक या आगजनी की घटनाएं हुई हों और प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ०आई०एस०एच०के०) दर्ज कराई गयी हो, जिसके कारण उन्हें डिबार किया गया हो, ऐसे महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।
- 16- जिन महाविद्यालयों के प्रबन्ध समिति में विवाद हो, उन्हें परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।
- 17- परीक्षा केन्द्र पर वायस रिक्टर गृक 100सी०टी०वी० कैमरे की रिक्ति कम से कम 60 दिनों तक सुरक्षा रक्षकों की व्यवस्था होनी अनिवार्य होगी, परीक्षा केन्द्र के निरीक्षण के दौरान सचल दल अधिकारियों द्वारा परीक्षा अधीन के किसी भी तथ्य एवं विषय की परीक्षा का अवलोकन/परिष्कार किया जा सके।
- 18- किसी परीक्षा केन्द्र पर निरीक्षण के दौरान यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो सम्बन्धित केन्द्र व्यवस्थापक को हटाकर वहाँ राजकीय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्य/वरिष्ठतम एसोसिएट प्रोफेसर को वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक एवं परीक्षा केन्द्र के वरिष्ठतम एसोसिएट प्रोफेसर को सह केन्द्र व्यवस्थापक नियुक्त कर अग्रिम परीक्षाएं सम्पादित करायी जायें।

1-यह शारणादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शारणादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 19- परीक्षाओं में भी पूर्व विभाति प्र. येक परीक्षा कक्षा में (परीक्षा कक्षा के माकार को दीपिका क्यो हुये) दो कक्षा निरीक्षकों की व्यवस्था लागू रहेगी। सततिय एव सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के जो शिक्षक द्यूदी/परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन विषयक आदेशों को प्रवहेलना करेगे या सोंपे गये कार्यों को नही करेगे, उन्हें अनुपस्थित माना जायेगा तथा तदुसार उक्तका वेतन काट लिया जाय।
- 20- परीक्षा कक्षा के दार पर ए-4 साइज के पेपर पर परीक्षा कक्षा में तैनात कक्षा निरीक्षकों के फोटोयुक्त विवरण यथा-नाम, पदनाम, अध्यापन का विषय आदि का विवरण प्रत्येक पाली में चरपा गिया जाय।
- 21- परीक्षा कक्षा में परीक्षा व्यवस्था से जुड़े व्यक्तियों से इतर नाम व्यक्तियों का परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नौ जैत होय।
- 22- परीक्षाओं में भाग्य में औचक निरीक्षण हेतु गठित सचल दल में महिला निरीक्षणकर्ता की अनिवार्य व्यवस्था की जाय तथा जिन परीक्षा केन्द्रों पर महिला परीक्षार्थी आवंटित की गयी है वहां पर महिला कक्षा निरीक्षकों की व्यवस्था की जाय। विरसी भी दशा में सचल/निरीक्षण दल के पुरुष सदस्य द्वारा महिला परीक्षार्थियों की तलाशी नही ली जायेगी। महिला परीक्षार्थियों की तलाशी सचल दल की महिला निरीक्षणकर्ता द्वारा ही की जायेगी। परीक्षा कक्षा में निरीक्षण दल/सचल दल के सदस्य एवं पर्यवेक्षक ही प्रवेश कर सकेंगे, अन्य व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होय। परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालय में अग्निशमन के निर्धारित मानकों के अनुसार समुचित प्रबंध अनिवार्य होय। अग्निशमन के संसाधनों यथा फायर एवसटींगशर, पानी की मोल्टियां एव रेत आदि की व्यवस्था वाछनीय होगी। सभी अग्निशमन यंत्र नवीनीकृत होने चाहेय।
- 23- परीक्षा केन्द्र बनाने वाले महाविद्यालयों में नियुक्त की जायत मापूती की व्यवस्था होनी चाहेय जिसके तैनात केरेटर का भी तैनातक प्रबंध होय।
- 24- परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालयों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था एवं शौचालय होय। अति आवश्यक होय। एव छात्र/छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय होय। अति आवश्यक होय।
- 25- परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालय मुख्य/सम्पर्क सवेकतु मार्ग से जुडा हो, ताकि वहा आसानी से पहुँचा जा सके और प्रश्नपत्रों की गोपनीयता की आवश्यकता जान एव नकल विहीन परीक्षाओं का पर्यवेक्षण सुगमता पूर्वक हो सके।
- 26- राजकीय महाविद्यालयों, आशास्कीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं स्वायत्तपोषित महाविद्यालयों की पूर्ण साम्य क्षमता का उपयोग करते हुए परीक्षार्थियों का तैनात किया जाय।
- 27- एक परीक्षा केन्द्र पर एक से अधिक महाविद्यालय के परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु आवंटित किया जाय।
- 28- यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी दशा में परीक्षा केन्द्र पर तम्बू कनात लगाकर या खुले में परीक्षा आयोजित न करायी जाय।
- 29- एक ही प्रबन्धक द्वारा संचालित एक से अधिक महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र उसी प्रबन्धक के अधीन संचालित अन्य महाविद्यालयों पर विरसी भी दशा में आवंटित न किया जाय। इसी के साथ ही विभिन्न प्रबन्धकों द्वारा संचालित महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के परीक्षा केन्द्र पारपरिक आधार पर निर्धारित किये जाने का भी विषेय किया जाय। इस प्रकार से केन्द्रों का तैनात कदापि न किया जाय। इसी के साथ ही प्रबन्धक तंत्र के अधीन नियमित परीक्षा गती पर उसी प्रबन्धक तंत्र में संचालित महाविद्यालय के सभ्यसकों को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर कक्षा निरीक्षक की द्यूदी नही लगायी जाय।
- 30- विद्यालयों के कुलसचिव द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि एक ही प्रबन्धक द्वारा संचालित एक से अधिक महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र उसी प्रबन्धक के अधीन संचालित अन्य महाविद्यालयों पर नही आवंटित किया गया है, विभिन्न प्रबन्धकों द्वारा संचालित महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के परीक्षा केन्द्र पारपरिक आधार पर निर्धारित नही किया गया

1- यह शासनदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनदेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://hjasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

है तथा एक ही प्रबन्ध तंत्र के अधीन निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर उभी प्रबन्ध-तंत्र में संचालित महाविद्यालय के प्राचार्यों को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर कक्षा निरीक्षक की ड्यूटी नहीं लगायी गयी है।

- 11- दिव्यांग छात्र/छात्राओं को, यदि उच्च महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है, तो उनके लक्ष्य की पूर्तिवादी जाया अन्यथा स्थिति में ऐसे महाविद्यालयों के दिव्यांग छात्र/छात्राओं को यथास्थित स्थानीय/निवृत्तस्थ परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देना हेतु समायोजित किया जाएगा।
- 12- जिन महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय फल में महाविद्यालय के प्राचार्य यदि डिबार् नहीं किए गए हैं तो केन्द्र व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त किए जायेंगे। ऐसे महाविद्यालय जहाँ के प्राचार्य डिबार् हैं, वहाँ यात्रा केन्द्राध्यक्षा की नियुक्ति की जायेगी।
- 13- परीक्षा के दौरान 200 मीटर तक प्रबन्ध समिति भग्ना भाग्य व्यक्तों को परीक्षा कार्य से सम्बन्धित नहीं है, उन्हें प्रवेश न दिया जाय।
- 14- प्रश्नपत्र यथासम्भव शारदाक्षीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से सी0सी0टी0वी0 कैमरे की निगरानी में वितरित/प्राप्त किये जायें।
- 15- परीक्षा केन्द्रों के आवंटन हेतु आवेदन केवल आनलाइन किया जायेगा, निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन के समय शारदाक्षीय में निर्धारित सभी सूचनाओं को सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा पूर्ण वितरण के साथ देना होगा।
- 16- समय-समय पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी परीक्षा केन्द्रों के आवंटन की प्रक्रिया की पारदर्शिता का परीक्षण करेंगे। विसंगति/आपत्ति प्राप्त होने पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उक्त परीक्षा केन्द्र को निरस्त करना होगा।
- 17- यथा सम्भव उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा समाप्ति के 02 घण्टे के भीतर सी0सी0टी0वी0 कैमरे की निगरानी में सम्बन्धित जिले के शारदाक्षीय महाविद्यालय के उत्तर पुस्तिका संग्रहण केन्द्र पर जमा की जायेंगी।
- 18- जिला/विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सम्बन्धित स्थापित करने पर एक परीक्षा केन्द्र पर एक निर्देशक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जायेगा।
- 19- परीक्षा केन्द्रों के भीतर पुरतक, गाड़न, कम्यूटर, मोबाइल व फैलफोनेटर सम्बन्धित नहीं होंगे, इसकी सजा पहले से ही विद्यार्थियों को देनी होगी।
- 10- (1) समस्त परीक्षा केन्द्रों पर राउटर लगाये जाने के पश्चात् केन्द्र व्यवस्थापकों/ प्राचार्यों द्वारा पारदर्शितापूर्ण परीक्षा संचालन की वेबकारिंटिंग व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र व्यवस्थापकों/प्राचार्यों द्वारा केन्द्र में लगे DVR का आई0पी0 एड्रेस उक्तकी यूजर आई0पी0 एवं पासवर्ड एक सील बन्द लिफाफे में परीक्षा प्रारम्भ के एक माह पूर्व ही सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
 (2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय स्तर पर एक कंट्रोल रूम बनाया जायेगा, जिसे जनपदीय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र में सुविधानुसार स्थापित किया जा सकता है। कंट्रोल रूम हेतु आवश्यक कम्यूटर आदि की व्यवस्था क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे महाविद्यालयों से लेकर की जायेगी जो परीक्षा केन्द्र नहीं बने हैं।
 (3) कंट्रोल रूम में प्रत्येक कम्यूटर पर अधिकतम 15 से 16 परीक्षा केन्द्रों के सतत निरीक्षण हेतु राजकीय महाविद्यालयों के दो-दो शिक्षकों की ड्यूटी लगायी जायेगी। निरीक्षण में परीक्षा केन्द्रों पर किसी प्रकार की अनुचित स्थिति परिलक्षित होने पर अथवा सी0सी0टी0वी0 आदि सभी ढंग से कार्य नहीं करने पर उक्तकी सूचना तत्काल क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सजल दलों को दी जायेगी। इसके साथ ही इसके दैनिक रूप से एक निरीक्षक संजिम्ह में भी भिजित किया जायगा।
 (4) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर लगाये गये इस कंट्रोल रूम की ऑनलाइन निरीक्षणकर्ता द्वारा नामित किसी प्रशासकीय अधिकारी द्वारा की जायेगी।

1-यह शारदाक्षीय इलेक्ट्रॉनिकनी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शारदाक्षीय की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadakhop.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

41- रामस्त परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा सम्बन्धी गतिविधियों की दैनिक रिपोर्ट को संकलित करने एवं प्रसन्न विश्लेषण कर नियमानुसार कार्यवाही करने एवं आवश्यकतानुसार शासन को संदर्भित करने हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज जोडल अधिकारी होंगे। परीक्षा सम्बन्धी गतिविधियों की दैनिक रिपोर्ट को संकलित करने हेतु प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। उक्त प्रारूप पर सूचना निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज की ई-मेल info@chpurni.in पर दैनिक रूप से रात्रि 09:00 बजे तक प्रेषित की जाय।

निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा परीक्षा समीक्षा के सम्बन्ध में जारी की गई सूचनाओं, महाविद्यालय के प्रबन्धक, शिक्षक/शिवागणितर कार्मियों/अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में संकलित सूचना शारान को प्रतिदिन नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का यथावत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा तदनुसार अगतर आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कर ली जाय।

सलगतक-यशोपरि।

भवदीय,
आर(0) रमेश कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या- संख्या-01/2020/17(1)/सत्तर-1-20.20-तीरुनांक

प्रतिरिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- रामस्त मण्डलगत उत्तर प्रदेश।
- 2- रामस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
- 4- रामस्त शीलीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- रामस्त प्राणग, राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्वचित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 6- अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस निदेश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को रामस्त सम्बन्धित को परिचालित करें तथा अनुपालन आख्या शारान को एक साराह के अन्तर उपलब्ध करायें।
- 7- गार्ड बुक।

माना से,
मन्जीज कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनदेश इलवद्वानिकली जारी किया गया है, मता इस पर इस्तफाज की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनदेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadehi.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के अनुश्रवण हेतु प्रारूप-

दिनांक

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम-

परीक्षा की तिथि/पार्टी

परीक्षा/पेजी की संख्या			अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या			अनुचित साधनों के प्रयोग में आरोपित अभ्यर्थी तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही, विषयवार				अनुचित साधनों के प्रयोग में आरोपित महाविद्यालय के प्रबन्धन/शिक्षक/ शिक्षाणेतर कर्मियों / अन्य व्यक्तियों की संख्या तथा उनके विरुद्ध कुल कार्यवाही का वितरण			अव्युक्ति
1			2			3				4			
क	ख	ग	क	ख	ग	क	ख	ग	घ	क	ख	ग	
सं	सं	कुल	सं	सं	कुल	सं	सं	कुल	कार्यवाही	सं	कुल	कार्यवाही	
सं	सं	कुल	सं	सं	कुल	सं	सं	कुल	कार्यवाही	सं	कुल	कार्यवाही	

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://khasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।